

परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 29 अप्रैल 2015 पर आधारित है।



परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

| | |
|--|--|
| पीडीएस सृजन तिथि | — |
| पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि | 24 मार्च 15 |
| परियोजना का नाम | बिहार नवीन गंगा सेतु परियोजना |
| देश | भारत |
| परियोजना/कार्यक्रम संख्या | 48373-002 |
| स्थिति | अनुमोदित |
| भौगोलिक अवस्थिति | — |
| इस प्रलेख में किसी कंटी कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है। | |
| क्षेत्र | परिवहन |
| उपक्षेत्र | सड़क परिवहन (गैर-शहरी) |
| रणनीतिक कार्यसूची | समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी) |
| परिवर्तन के प्रेरक | लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) शासन और क्षमता विकास (जीसीडी) |
| लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग | संवर्ग 3 : कुछ लैंगिक तत्व (एसजीई) |
| परियोजना प्रायोजक | — |

■ वित्तपोषण

| सहायता का प्रकार/रूपात्मकता | अनुमोदन संख्या | वित्तपोषण का स्रोत | अनुमोदित राशि (हजार) |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| ऋण | — | साधारण पूंजी संसाधन | 500,000 |
| तकनीकी सहायता | — | तकनीकी सहायता विशेष निधि | 500 |
| — | — | पूरक | 332,000 |
| योग | | | यूएस\$ 832,500 |

■ संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories> देखें

| | |
|----------|---|
| पर्यावरण | — |
|----------|---|

| | |
|---------------------|---|
| अस्वैच्छिक पुनर्वास | — |
|---------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| स्वदेशी लोग | — |
|-------------|---|

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

| | |
|---------------|---|
| पर्यावरण-पहलू | — |
|---------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| अस्वैच्छिक पुनर्वास | — |
|---------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| स्वदेशी लोग | — |
|-------------|---|

■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्थापित तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की जाएगी तथा लागू अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन मानकों, जिनमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के उपाय शामिल हैं, के अनुसार मितव्ययिता और निर्माण दक्षता के लिए इष्टतम अभियांत्रिकी और प्रणाली चयन सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र पुनरीक्षण संचालित किया जाएगा। परियोजना तैयारी टीए के तहत प्रारूप किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों में एसपीएस तथा सरकारी नीतियों के अनुसार पुनर्वास संरचना, पुनर्वास योजना तथा स्वदेशी लोगों की योजना संरचना शामिल हैं। पुनर्वास योजना का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में संबद्ध राष्ट्रीय तथा राज्य कानूनों और विनियमों में संभावित संशोधनों का गहन विश्लेषण तथा प्रगति मॉनीटरन शामिल किया जाएगा।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

एक एकल उच्च मूल्य संविदा से अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण की प्रदायगी की आशा की जाती है। यह निर्माण उद्योग के भीतर संविदा व्यवस्था का सामान्य रूप है। ईए द्वारा पूर्वयोग्यता तथा बोलीदान का संचालन एडीबी के मानक प्रापण प्रलेख के आधार पर किया जाएगा। संविदा की शर्तें सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के आदर्श ईपीसी अनुबंध पर आधारित होंगी।

■ विवरण

प्रस्तावित परियोजना के तहत भारत के पटना शहर में गंगा नदी पर छह लेन सड़क के साथ 9.760 किलोमीटर लम्बा पुल बनाया जाएगा, जिसके साथ लगभग 10 किलोमीटर पहुंच वाहिनी तथा सड़कें, टोल तथा सेवा सुविधाएं होंगी और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लम्बी सड़क चौड़ी की जाएगी। इसका उद्देश्य बिहार राज्य की राजधानी पटना तथा आस-पास के क्षेत्र, विशेषकर उत्तर बिहार में, परिवहन कनेक्टिविटी सुधारना है। परियोजना की अनुमानित लागत 832 मिलियन डॉलर है, जिसमें पांच वर्षीय निष्पादन आधारित अनुरक्षण, कर और शुल्क, भौतिक एवं मूल्य आकस्मिकताएं, ब्याज तथा कार्यान्वयन के दौरान अन्य प्रभार शामिल हैं। प्रस्तावित वित्तपोषण मॉडल एडीबी के साधारण पूंजी संसाधनों से 500 मिलियन डॉलर की किश्तों में दी जाने वाली वित्तपोषण सुविधा है। प्रत्येक किश्त से पुल निर्माण के दीर्घवधि संविदा पैकेज के अंश का वित्तपोषण किया जाएगा तथा अंतिम किश्त में निष्पादन आधारित अनुरक्षण आवृत्त किया जाएगा। किश्त की सर्वाधिक सभ्य आवृत्ति और आकार की पुष्टि तथ्य-अन्वेषण दौर में की जाएगी। सरकार द्वारा निष्पादित संभाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (एफएस/डीपीआर) की समीक्षा की जा रही है और चालू सीडीटीए 7252 : परियोजना उद्यतता के संवर्द्धन हेतु क्षमता विकास और परिवहन परियोजनाओं के परिणामों का मॉनिटरन के तहत अतिरिक्त सम्यक् सतर्कता बरती जाएगी।

■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

विद्यमान पुल (महात्मा गांधी सेतु) 2 लेन में सिमटा, गंभीर यातायात भीड़ के कारण खराब हालत में है तथा भारी वाहनों के लिए बंद है। प्रस्तावित ग्रीन फील्ड ब्रिज से गंगा पार करने हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होगी तथा यह उत्तरी बिहार को पटना और दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा, जिसके द्वारा बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, व्यवसाय के अवसर बढ़ाना तथा सामाजिक समरसता बढ़ाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच कनेक्टिविटी सुधार हेतु परिवहन मास्टर प्लान का अंग है तथा एडीबी द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे समग्र सड़क सेक्टर सुधारों का अभिन्न अंग है। परियोजना का लक्ष्यकृत प्रभाव लोगों और माल का संचलन अधिक कारगर और स्थायी ढंग से बढ़ाने के लिए परिवहन सेक्टर में देश की प्राथमिकताओं के साथ सुसंगत है। यह एडीबी की देश भागीदारी रणनीति द्वारा सहायित है। प्रस्तावित वित्तपोषण माडल किश्तों में दी जाने वाली वित्तपोषण सुविधा है। यह एक बृहद पृथक परियोजना में दीर्घकालिक संविदा पैकेजों के अंशों के वित्तपोषण हेतु आदर्श माडल है, जो एडीबी को एक नियत अवधि में पृथक वित्तीय खंडों की श्रृंखला में सहायता उपलब्ध कराने की सक्षमता प्रदान करता है।

■ विकास प्रभाव

बिहार में परिवहन नेटवर्क में सुधार।

■ परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन

परिणाम की दिशा में प्रगति

पटना और उत्तरी बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार।

—

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

| परियोजना आउटपुट्स का वर्णन | कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियाँ और मुद्दे) |
|--|--|
| गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण प्रचालन और प्रबंधन क्षमता में वृद्धि | – |
| विकास परियोजनाओं की स्थिति | कार्य/निर्माण की स्थिति |
| – | – |
| महत्वपूर्ण परिवर्तन | |
| – | |

■ व्यवसाय के अवसर

| | |
|--|-------------|
| प्रथम सूचीयन की तिथि | 10 मार्च 15 |
| परामर्शी सेवाएं | |
| ऋण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए, प्रापण हेतु सम्यक् सतर्कता के संचालन और अग्रिम कार्य द्वारा सहायता के लिए आंतरिक स्टाफ से लगभग 50 व्यक्ति-सप्ताह अपेक्षित होंगे। एक सेतु विशेषज्ञ का उपयोग डीपीआर की समीक्षा तथा समग्र निर्दोषिता की पुष्टि हेतु किया जा रहा है। | |
| अधिप्राप्ति | |
| बीएसआरडीसीएल द्वारा निर्माण की इंजीनियरिंग, प्रापण, निर्माण (ईपीसी) विधि अपनाया प्रस्तावित है। अग्रिम करार और पूर्वव्यापी वित्तपोषण पर विचार किया जाएगा। | |
| प्रापण और परामर्शी सूचनाएं | |
| http://www.adb.org/projects/48373-002/business-opportunities | |

■ समयतालिका

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| अवधारणा मंजूरी | 13 मार्च 15 |
| सम्यक् सतर्कता मिशन | 20 जुलाई 2015 से 31 जुलाई 2015 तक |
| निवेश समिति बैठक | 30 अक्टूबर 15 |
| अनुमोदन | – |

■ मीलपत्थर

| अनुमोदन संख्या | अनुमोदन | हस्ताक्षर | प्रभावोत्पादकता | अनुमोदन समापन | | |
|----------------|---------|-----------|-----------------|---------------|---------|----------|
| | | | | मूल | संशोधित | वास्तविक |
| – | – | – | – | – | – | – |

■ उपयोग

| तिथि | अनुमोदन संख्या | एशियाई विकास बैंक (यूएस\$ हजार) | अन्य (यूएस\$ हजार) | शुद्ध प्रतिशत |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| संचयी संविदा पुरस्कार | | | | |
| - | - | - | - | - |
| संचयी संवितरण | | | | |
| - | - | - | - | - |

■ प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं — लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक — इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक — इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक — इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तालय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

| अनुमोदन संख्या | संवर्ग | | | | | | परियोजना वित्तीय विवरण |
|----------------|---------|---------|---------|--------|------|--------------|---------------------------|
| | क्षेत्र | सामाजिक | वित्तीय | आर्थिक | अन्य | सुरक्षा उपाय | |
| ऋण - | - | - | - | - | - | - | - |

■ सम्पर्क और अद्यतन विवरण

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| जिम्मेदार एडीबी अधिकारी | डोंग-क्यू ली (dklee@adb.org) |
| जिम्मेदार एडीबी विभाग | दक्षिण एशिया विभाग |
| जिम्मेदार एडीबी प्रभाग | परिवहन और संचार प्रभाग, एसएआरडी |
| निष्पादक अभिकरण | - |

■ सम्पर्क

| | |
|---------------------------|---|
| परियोजना वेबसाइट | http://www.adb.org/projects/48373-002/main |
| परियोजना प्रलेखों की सूची | http://www.adb.org/projects/48373-002/documents |